न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पवन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 36/2012

सुप्यार कंवर बेवा श्री भवंरसिंह पुत्री श्री शिशुपालसिंह जाति राजपूत निवासी पुराने करणी माता मंदिर के पास, तिलक नगर बीकानेर (राज.)

––– वादीया

बनाम

1. नरपत सिंह पुत्र श्री शिशुपालसिंह जाति राजपूत निवासी 1 केएएम सी तहसील अनूपगढ़
2. किरण कंवर धर्म पत्नी श्री दुर्जनसिंह पुत्री श्री शिशुपालसिंह जाति राजपूत निवासी पुराने करणी माता मंदिर के पास, तिलक नगर, बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) अनूपगढ़

––––प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सि. प्र. सं.

उपस्थित–

1. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट –वादीया की ओर से
2. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट –प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से

दिनांक 24.03.21

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 1 केएएम सी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–22 पत्थर सं.–245/477 के किला नं.–1ता25 के 25 बीघा या 6.325 हैक्टर कृषि भूमि वादीया की माता श्रीमती अनूप कंवर बेवा श्री शीशपाल सिंह कौम राजपूत साकिन डाबडी के नाम से आवंटित है जो वर्तमान मे उसकी खातेदारी कृषि भूमि है जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। वादीया की माता अनूपकंवर की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि वादीया व प्रतिवादी सं.–1 एवं 2 उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा यह कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं.–1व2 का बहिस्सा बराबर–2 विरासत मे प्राप्त हो रही है। इस प्रकार वादीया का इस कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा जो कि लगभग 8 बीघा 7 बिस्वा बनता है। वादीया ने अपनी माता की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी सं.–1व2 से सम्पर्क कर यह कहा कि अब यह कृषि भूमि हम तीनों को बहिस्सा बराबर–2 प्राप्त हो चुकी है। इसलिए तहसील में चल कर इस कृषि भूमि का नामान्तरण तीनों के नाम से करवाते हुऐ इस कृषि भूमि को तीन हिस्सों मे बांट लेवे। जिस पर प्रतिवादी सं.–1 आवेश में आ गया तथा प्रतिवादी सं.–1 ने एलानिया कहा कि उसने इस कृषि भूमि की वसीयत अपने एवं अपने पुत्रों के नाम से करवा ली है तथा यह समस्त कृषि भूमि उसकी एवं उसके पुत्रों की है तथा यह स्पष्ट रूप से बतलान [illegible] कि श्रीमती अनूपकंवर की तथाकथित वसीयत प्रतिवादी सं.–1 अथवा उसके [illegible] के [illegible] से सम्मिलित रूप से है अथवा अकेले प्रतिवादी सं.–1 के [illegible] अवैध निरर्थक दस्तावेज के आधार पर तथा दस्तावेजों में [illegible] श्रीमती अनूपकंवर की और [illegible] तथाकथित तौर पर तैयार की गई अवैध एवं निरर्थक वसी[illegible] भी हो सकती है। के अ[illegible] पर इस कृषि भूमि का नामान्तरण करवाते हुए इस कृषि भूमि की अन्य किसी को खुर्द बुर्द एवं बेचान भी कर सकते है। वादीया ने प्रतिवादी सं.–3 को इस बारे में बताया तो प्रतिवादी सं.–3 ने स्पष्ट इंकार कर दिया। प्रतिवादी सं.–3 प्रतिवादी सं.–1 के प्रभाव में हैं बस यही वाद का कारण है। वाद अधिकारों की घोषणा उक्त कृषि भूमि की किस्म अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:52 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि का वादीया एवं प्रतिवादी सं.–1 व 2 के मध्य खाता विभाजन किया जाकर वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार अंकन कि जाकर वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे बतौर खातेदार अंकन किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट उपस्थित।

प्रतिवादी संख्या 01 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के माध्यम से वादीया को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादीया को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। वादीया ने अपने वाद पत्र मे अभिकथन किया है कि प्रतिवादी सं.–1 ने विवादित भूमि के संबंध में उक्त कृषि भूमि की वसीयत अपने व अपने पुत्रों के नाम से तैयार करवा ली है यह समस्त कृषि भूमि की वसीयत अपने व अपने पुत्रों के नाम से तैयार करवा ली है यह समस्त कृषि भूमि उसकी व उसके पुत्रों की है वादीया को उसका हिस्सा नहीं देगा एवं यह कथन किया कि प्रतिवादी सं.–1 किसी अवैध एवं निरर्थक दस्तावेजों के आधार पर तथा इन दस्तावेजों मे कोई श्रीमती अनूपकंवर की और से तथाकथित तौर पर तैयार कर ली गई अवैध एवं निरर्थक वसीयत भी हो सकती है। विवादित भूमि का मूल खातेदार श्रीमती अनूप कंवर ने दिनांक 04.01.2006 को विवादित कृषि भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्र नरपतसिंह व पौते विक्रम सिंह के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवाई है तथा वसीयत के आधार पर दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण भी वसीयत की रूह से प्रतिवादी सं.–1 नरपतसिंह व विक्रमसिंह के नाम से दर्ज हो चुका है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सूक्ष्मता से विवेचन किया जावे तो वास्तव में वादीया का वाद मुझ प्रतिवादी एवं प्रतिवादी के पुत्र विक्रमसिंह के पक्ष में माता श्रीमती अनूपकंवर द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 04.01.2006 वादीया के हितों पर प्रभावशून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने का है तथा आनुशांगिक अनुतोष के रूप में वादीया द्वारा विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। वादीया के द्वारा इस वाद पत्र में मुख्य अनुतोष के रूप में पंजीकृत वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई है जबकि कानून स्पष्ट है कि किसी भी पंजीबद्ध दस्तावेज की वैधता का सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। तथा वादीया का मुख्य अनुतोष भी माता अनूपकंवर द्वारा दिनांक 04.01.2006 को निष्पादित एवं पंजीबद्ध वसीयत के संबंध में है जबकि वसीयत की वैधता के संबंध में अनुतोष माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदत किया जा सकता है।माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं। इस प्रकार वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नही है। इसके अलावा पंजीकृत वसीयत को दरकिनार कर माननीय यायालय द्वारा वादीया को 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित नही किया जा सकता। फलस्वरूप वादीया कावाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(घ) के तहत बाई बाई लॉ है तथा मौजूदा स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर वादीया ने निवेदन किया कि वादीया के द्वारा तथाकथित वसीयत को प्रभावहीन व प्रभावशून्य घोषित करवाने के संबंध मे अनुतोष नही चाहा बल्कि वादीया के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का मुख्यत अनुतोष चाहा है तथाकथित वसीयत प्रारम्भ शून्य दस्तावेज है जिसके संबंध में वादीया द्वारा हस्तगत वाद में कोई अनुतोष नही चाहा है किसी भी दस्तावेज के आरम्भ से शून्य होने की स्थिति मे उसको किसी प्रकार से निरस्त करवाने या उसके संबंध मे किसी प्रकार की घोषणा करवाना आवश्यक नही है। वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय मे पोषनीय है वादीया का वाद किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा बाधित नही है प्रतिवादी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:52 IST
Reason: SelfAttested

–1के द्वारा बताऐ गए कथित आधार विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो वाद पत्र में दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही तय हो सकते है। अतः प्रार्थना पत्र काबिली निरस्ती के है।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं.–1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वाद पत्र के माध्यम से वादीया को 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादीया को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। वादीया ने अपने वाद पत्र मे अभिकथन किया है कि प्रतिवादी सं.–1 ने विवादित भूमि के संबंध में उक्त कृषि भूमि की वसीयत अपने व अपने पुत्रों के नाम से तैयार करवा ली है यह समस्त कृषि भूमि उसकी व उसके पुत्रों की है विवादित भूमि का मूल खातेदार श्रीमती अनूप कंवर ने दिनांक 04.01.2006 को विवादित कृषि भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्र नरपतसिंह व पौते विक्रम सिंह के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवाई है तथा वसीयत के आधार पर दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण भी वसीयत की रूह से प्रतिवादी सं.–1 नरपतसिंह व विक्रमसिंह के नाम से दर्ज हो चुका है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सूक्ष्मता से विवेचन किया जावे तो वास्तव में श्रीमती अनूपकंवर द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत वसीयत दिनांक 04.01.2006 वादीया के हितों पर प्रभावशून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने का है तथ आनुशांगिक अनुतोष के रूप में वादीया द्वारा विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। वादीया के द्वारा इस वाद पत्र मे माध्यम से मुख्य अनुतोष के रूप में पंजीकृत वसीयत की वैधता को चुनौती दी गई है जिस संबंध में कानून स्पष्ट है कि किसी भी पंजीबद्ध दस्तावेज की वैधता का सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं। इस प्रकार वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का नही है। इसके अलावा पंजीकृत वसीयत को दरकिनार कर माननीय न्यायालय द्वारा वादीया को 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित नही किया जा सकता। फलस्वरूप वादीया का वाद पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(घ) के तहत बाई लॉ है तथा मौजूदा स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। एवं अपने उक्त तथ्यों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2006 डब्लयू. एल. सी.(यू.सी.)पेज 283 एवं आरआरटी 2020(1) पेज 271 पेश किये।**

वकील अप्रार्थी/वादीया ने अपनी मौखिक बहस में जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया के द्वारा तथाकथित वसीयत को प्रभावहीन व प्रभावशून्य घोषित करवाने के संबंध मे अनुतोष नही चाहा बल्कि वादीया के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का मुख्यत अनुतोष चाहा है तथाकथित वसीयत प्रारम्भ शून्य दस्तावेज है जिसके संबंध में वादीया द्वारा हस्तगत वाद में कोई अनुतोष [illegible] है किसी भी दस्तावेज के आरम्भ से शून्य होने की स्थिति मे [illegible] उसके संबंध मे किसी प्रकार की घोषणा करवाना आवश्यक नही है। वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय मे पोषनीय है वादीया का वाद किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा बाधित नही है प्रतिवादी सं.–1के द्वारा बताऐ गए कथित आधार विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो वाद पत्र में दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही तय हो सकते है।

उभय पक्ष बहस पर मनन किया गया एवं उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया। वाद पत्रों के अभिवचनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायलय यह पाता है कि वादी द्वारा चाहा गया 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित करने का अनुतोष स्वर्गीय अनूपकंवर के द्वारा निष्पादित एवं पंजीबद्ध वसीयत को नजरअदांज कर प्रदत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वादीया ने उक्त वाद के माध्यम से प्रतिवादीगण के पक्ष में स्व. अनूपकंवर के द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 04.01.06 को वादीया के हितों पर प्रभावहीन एवं प्रभावशून्य घोषणा करवाने का मुख्य अनुतोष चाहा है तथा अनुशांगिक अनुतोष रूप में 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार भूमि का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2006 डब्लयू. एल. सी. (यू.सी.)पेज 283 एवं आरआरटी 2020(1) पेज 271** से सहमत है कि कृषि भूमि के संबंध में वसीयत की विधिमान्यता पर आक्षेप सहित भूमि में हिस्से के लिए घोषणा का वाद सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञेय है तथा वसीयत का न्याय निर्णय हेतु केवल सिविल न्यायालय को अधिकारिता है। वसीयता की वैधता राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत नहीं की जा सकती। हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा वसीयत की विधिमान्यता पर आक्षेप करते हुए अपने 1/3 हिस्सा की घोषणा का अनुतोष चाहा है जिसका निर्धारण करना न्यायालय हाजा के श्रेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नहीं है। फलतः वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः प्रार्थीगण (प्रतिवादी सं.–01) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं हस्तगत वाद पत्र को नामंजूर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **24.03.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:52 IST
Reason: SelfAttested